उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 1094/77–4–2024/110 (अपील)/23
लखनऊ:दिनांक: 15 फरवरी, 2024

मैसर्स एस0एम0एस0 सॉफ्टेक प्रा0लि0, पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मै0 एस0एम0एस0 सॉफ्टेक प्रा0लि0 द्वारा नौएडा में आवंटित भूखण्ड संख्या–ई–90, सेक्टर–63 के सम्बन्ध में दिनांक 27.03.2023 को नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवंटन निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 26.09.2023 को सुनवाई की गयी।

2. प्रकरण में प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में तथा सुनवाई के समय पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नवत् अभिकथन प्रस्तुत किए गये:–

(1) औद्योगिक भूखण्ड संख्या–ई–90, सेक्टर–63, नौएडा का आवंटन श्री सौरभ दुग्गल के पक्ष में 12.09.2005 में किया गया था। वर्ष–2007 में पट्टा विलेख हस्ताक्षरित करते हुए कब्जा हस्तांतरित किया गया। कालान्तर में यह प्लाट मै0 एस0एम0एस0 सॉफ्टेक प्रा0लि0 को हस्तांतरित किया गया।

(2) प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा उपरोक्त पट्टे को निरस्त करते हुए भूखण्ड का कब्जा वापस प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी है। उपरोक्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अध्यादेश दिनांक 28.07.2020 के क्रम में की गयी है, जिसके अनुसार इकाई को क्रियाशील करने हेतु अंतिम तिथि 31.12.2022 नियत की गयी।

(3) मै0 एस0एम0एस0 सॉफ्टेक प्रा0लि0 द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन में यह कहा गया है कि प्रार्थी उपरोक्त परियोजना को पूर्ण कर संचालित करना चाहता है, परन्तु रिसेशन (Recession) एवं कोविड–19 आदि कारणों से अभी तक परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका है। आवंटन के पश्चात लगभग 18 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और परियोजना पूर्ण कर ऑपरेशनल नहीं की गयी है। आवंटी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 18 वर्ष तक परियोजना को पूर्ण कर संचालित न करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त नहीं है।

3— अतः उपरोक्त रिवीजन उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा—12 के अन्तर्गत एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्याः— 1094 (1)/77—4—2024/110 (अपील)/23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2— श्री मोतीलाल सेठी, प्रबन्ध निदेशक, मै0 एस0एम0एस0 सॉफ्टेक प्रा0लि0, ए—115, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली—110065,
(ई—मेल motilalsethi@gmail.com)
3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।